विभाग का नाम :- हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य एवम परिवार कल्याण विभाग

1.	योजना /स्कीम का संचालन राज्य प्रायोजित
2.	उद्देश्य एवं विशेषताएं :- • एड्स के साथ जी रहे व्यक्तियों के बच्चों को शिक्षा एवं अन्य जीवनयापन सम्बन्धित आवश्यकताओं के लिए राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता | • शिक्षा एवं अन्य जीवनयापन सम्बंधित आवश्यकताओं को पूरा के सके |
3.	पात्रता - सभी एच् ० आई ० वी ० के साथ जी रहे लोगों के बच्चों व अनाथों 0 -18 वर्ष के बच्चों के लिए |
4.	सहायता का ब्यौरा :- एच् ० आई ० वी ० / एड्स के साथ जी रहे व्यक्तियों के बच्चों / अनाथों को शिक्षा एवं अन्य जीवनयापन सम्बन्धित आवश्यकताओं के लिए राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता योजना वर्ष 2 0 0 7 -2008 शुरू की गई है | इस योजना के तहत एड्स के साथ जी रहे व्यक्तियों के बच्चों को आर्थिक सहायता निम्नलिखित विवरण अनुसार दी जा रही है :- 0 -3 वर्ष तक 300/- रू प्रतिमाह 4 -6 वर्ष तक 400/- रू प्रतिमाह 7 -9 वर्ष तक 500/- रू प्रतिमाह 10 -12 वर्ष तक 600/- रू प्रतिमाह 13 -15 वर्ष तक 700/- रू प्रतिमाह 16 -18 वर्ष तक 800/- रू प्रतिमाह
5.	**<u>सहायता लेने के लिए आवेदन :-</u>** मुख्य चिकित्सा अधिकारी। जिला एड्स कार्यक्रम अधिकारी व खण्ड चिकित्सा अधिकारी को साधारण कागज़ पर आवेदन किया जा सकता है |
6.	**<u>वांछित दस्तावेज़ :-</u>** 1. पिता या माता के एच् 0 आई 0 वी 0 से ग्रसित होने का प्रमाण / रिपोर्ट यदि बच्चा अनाथ हो तो माता के एड्स से मृत्यु होने का प्रमाण पत्र | 2. आयु प्रमाण पत्र | यदि बच्चा अनाथ हो तो सम्बंधित अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र | 3. हिमाचल के स्थाई निवासी होने का प्रमाण पत्र | 4. इस योजना का लाभ सम्बंधित जिले के निवासी को ही उसके सम्बंधित जिले में ही प्राप्त होगा | पिता या माता का बैंक अकाउंट का विवरण | अनाथ बच्चों के अभिभावकों को लाभार्थी बच्चों के नाम बैंक खाता खोलना होगा क्योंकि योजना की राशि उनके नाम ही उनके खाते में दी जाएगी |
7.	आवेदन जमा करवाने का स्थान व सम्पर्क सूत्र अधिकारी :- सम्बंधित मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला एड्स कार्यक्रम अधिकारी व खंड चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय में |

<u>विभाग का नाम :- हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य एवम परिवार कल्याण विभाग</u>

<table>
<tr><td>1.</td><td>योजना /स्कीम का संचालन राज्य प्रायोजित</td></tr>
<tr><td>2.</td><td><u>उद्देश्य एवं विशेषताएं :-</u>
चिकित्सक की सलाह पर प्रदेश सरकार द्वारा एच् ० आई ० वी ० / एड्स के साथ जी रही महिलाओं के नवजात शिशु को एक वर्ष तक दूध पाउडर मुफ्त दिया जाता है, ताकि नवजात शिशु को एच् ० आई ० वी ० / एड्स माँ का दूध न उपलब्ध होने की स्थिति में पर्याप्त पोषक आहार मिल सके |</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>पात्रता - एच् ० आई ० वी ० / एड्स के साथ जी रही महिलाओं के नवजात शिशु को एक वर्ष तक दूध पाउडर मुफ्त दिया जाता है |</td></tr>
<tr><td>4.</td><td><u>सहायता का ब्यौरा :-</u>
चिकित्सक की सलाह पर प्रदेश सरकार द्वारा एच् ० आई ० वी ० / एड्स के साथ जी रही महिलाओं के नवजात शिशु को एक वर्ष तक दूध पाउडर मुफ्त दिया जाता है, ताकि नवजात शिशु को एच् ० आई ० वी ० / एड्स माँ का दूध न उपलब्ध होने की स्थिति में पर्याप्त पोषक आहार मिल सके |
<table>
<tr><th>आयु</th><th>पाउडर दूध के पैकेट की मात्रा की आवश्यकता प्रति शिशु -प्रति माह</th></tr>
<tr><td>0 -6 माह</td><td>6 किलो (यानी 1 किलो के 6 पैकेट)</td></tr>
<tr><td>7 -12</td><td>माह 5 किलो (यानी 1 किलो के 5 पैकेट)</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>5.</td><td><u>सहायता लेने के लिए आवेदन :-</u>

मुख्य चिकित्सा अधिकारी। जिला एड्स कार्यक्रम अधिकारी व खण्ड चिकित्सा अधिकारी को साधारण कागज़ पर आवेदन किया जा सकता है |</td></tr>
<tr><td>6.</td><td><u>वांछित दस्तावेज़ :-</u>

1. माता के एच्0आई0वी0 से ग्रसित होने का प्रमाण / रिपोर्ट यदि बच्चा अनाथ हो तो माता के एड्स से मृत्यु होने का प्रमाण पत्र |
2. आयु प्रमाण पत्र | यदि बच्चा अनाथ हो तो सम्बंधित अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र |
3. हिमाचल के स्थाई निवासी होने का प्रमाण पत्र |
4. इस योजना का लाभ सम्बंधित जिले के निवासी को ही उसके सम्बंधित जिले में ही प्राप्त होगा |</td></tr>
<tr><td>7.</td><td>आवेदन जमा करवाने का स्थान व सम्पर्क सूत्र अधिकारी :-
सम्बंधित मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला एड्स कार्यक्रम अधिकारी व खंड चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय में |</td></tr>
</table>

विभाग का नामःहिमाचल प्रदेश - स्वास्थ्य एवम् परिवार कल्याण विभाग

1	योजना/स्कीम का संचालन राज्य प्रायोजित
2	उद्देश्य एवम विशेषताएँ :- एच0आई0वीएड्स के साथ जी रहे व्यक्तियों और उनके एक सहयोगी को एंटी / रेट्रोवायरल थैरेपी में उपचार के लिए आने जाने का बस किराया सरकार द्वारा दिया जाता है। जिससे वह अपने जीवन को लम्बे समय तक जी सकते हैं। यह एंटी रेट्रोवायरल थैरेपी प्रदेश में स्थित 6 एंटी रेट्रोवायरल थैरेपी केन्द्रों द्वारा प्रदान की जा रही है। एड्स के साथ जी रहे व्यक्ति इन केन्द्रों में उपचार करवाने के लिए आते हैं, उन्हें और उनके एक सहयोगी को यहाँ उपचार के लिए आने जाने का बस किराया सरकार द्वारा दिया जाता है, ताकि इन्हें बिना व्यवधान उपचार मिल सके व उपचार सुचारू रूप से किया जा सके।
3	पात्रताः- सम्बन्धित एंटी रेट्रोवायरल थैरेपी केन्द्रों में उपचार के लिए पंजीकृत एच0आई0वी/ एड्स के साथ जी रहे व्यक्ति स्वतः ही इस योजना के पात्र होते है।
4	✓ सहायता का ब्यौराः- एच0आई0वीएड्स के साथ / जी रहे व्यक्तियों और उनके एक सहयोगी को एंटी रेट्रोवायरल थैरेपी में उपचार के लिए आने जाने का बस किराया सरकार द्वारा दिया जाता है। जिससे वह अपने जीवन को लम्बे समय तक जी सकते हैं। यह सहायता प्रदेश में स्थित 6 एंटी रेट्रोवायरल थैरेपी केन्द्रों द्वारा प्रदान की जा रही है, ताकि इन्हें बिना व्यवधान उपचार मिल सके व उपचार सुचारू रूप से किया जा सके।
5	सहायता लेने के लिए आवेदनः- सम्बन्धित एंटी रेट्रोवायरल थैरेपी केन्द्रों में उपचार के लिए पंजीकृत एच0आई0वीएड्स के साथ जी / रहे व्यक्ति साधारण कागज पर आवेदन कर सकते है।
6	वाछित दस्तावेजः- सम्बन्धित एंटी रेट्रोवायरल थैरेपी केन्द्रों में उपचार के लिए पंजीकृत होना अनिर्वाय है।
7	आवेदन जमा करवाने का स्थान व सम्पर्क सूत्र-अधिकारीः/ सम्बन्धित एंटी रेट्रोवायरल थैरेपी केन्द्रों (ART Centre) मे

विभाग का नामःहिमाचल प्रदेश - स्वास्थ्य एवम् परिवार कल्याण विभाग

1	योजना/स्कीम का संचालन राज्य प्रायोजित
2	उद्देश्य एवम विशेषताएँ एच0आई0वी/ एड्स के साथ जी रहे बच्चों को पोषक आहार मिल सके
3	पात्रताः- सम्बन्धित एंटी रेट्रोवायरल थैरेपी केन्द्रों में उपचार के लिए पंजीकृत एच0आई0वी/ एड्स के साथ जी रहे बच्चें स्वतः ही इस योजना के पात्र होते है।
4	सहायता का ब्यौराः- न्युट्रिषिनल किट(पंजीर/बिस्कुट) 100ग्राम प्रति दिन प्रति बच्चा को एक साथ एक माह के लिए (ART Centre) के माध्यम से उपलब्ध करवाई जाती है।
5	सहायता लेने के लिए आवेदनः- सम्बन्धित एंटी रेट्रोवायरल थैरेपी केन्द्रों में उपचार के लिए पंजीकृत एच0आई0वी/ एड्स के साथ जी रहे बच्चे साधारण कागज पर आवेदन कर सकते है।
6	1- वाछित दस्तावेजः- 2- एच0आई0वी0 से ग्रसित होने का प्रमाण/रिर्पोट व सम्बन्धित एंटी रेट्रोवायरल थैरेपी केन्द्रों में उपचार के लिए पंजीकृत होना अनिर्वाय है।
7	आवेदन जमा करवाने का स्थान व सम्पर्क सूत्र/अधिकारीः- सम्बन्धित एंटी रेट्रोवायरल थैरेपी केन्द्रों (ART Centre) में।